

प्रेषक,

इवा आशीष श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग देहरादून : दिनांक 05 जुलाई, 2017
विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-810/सं0नि0उ0/दो-3/2017-18 दिनांक 27 जून, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में संस्कृति विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु अनुदान संख्या-11, 30 व 31 में क्रमशः ₹1280.82 लाख, ₹30.00 लाख व ₹30.00 लाख अर्थात् कुल ₹1340.82 लाख (₹ तेरह करोड़ चालीस लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है:-

- (i) उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-312/3(150)/XXVII(1)2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) मितव्ययी मदों में व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।
- (iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त धनराशि का भुगतान वास्तविक व्यय एवं संगत वित्तीय मानकों के प्राविधानानुसार ही किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 लेखाशीर्षक-2205 के अन्तर्गत संगत मानक मदों के संलग्न विवरणानुसार वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या- 282 / VI / 2017-71(4)2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
- 3- वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ✓ 5- एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
अपर सचिव।